

किराया द्विपक्षीय घोषणा पत्र

(किरायानामा)

(केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए)

प्रोफाइल आईडी :

किरायेदार (छात्र/छात्रा) नाम:

स्थायी पता:

किराया पता का विवरण:

मकान मालिक का नाम:

किराया का पता:

स्थानीय निकाय का नाम:

पिन कोड:

मकान मालिक फोन नंबर:

पहचान पत्र संख्या:

(प्रति संलग्न करें)

संस्थान का नाम, जिला :

पिता/पति का नाम:

जिला:

पिन कोड:

पिता/पति का नाम:

वार्ड नं. :

स्थानीय निकाय : ☐ ग्राम पंचायत ☐ नगर पालिका
(युनै ☒) ☐ नगर परिषद ☐ नगर निगम

ब्लॉक का नाम:

जिला:

मकान मालिक पहचान पत्र युनै: ☒

☐ वोटर आईडी. ☐ राशन कार्ड ☐ बैंक पास बुक
☐ बिजली बिल ☐ पैन कार्ड ☐ ड्राइवर लाइसेंस

किराया विवरण:

किराया प्रारंभ दिनांक :

किराया (प्रति माह):

शब्दों में किराया (प्रति माह):

में (दोनों पक्ष) घोषणा करता हं कि:

- घोषित किरायेदार वर्तमान में उपरोक्त किराये के पते पर रहता है, जो ऊपर घोषित मकान मालिक के स्वामित्व में है।
- मैंने (दोनों पक्ष) उपर्युक्त पता, किराया, दिनांक तथा अन्य विवरणों को सत्यापित कर लिया है और उपर्युक्त विवरण मान्य और सही हैं।
- उपर्युक्त जानकारी की सभी देयता और जिम्मेदारी, मेरे (दोनों पक्ष) द्वारा वहन की जाएगी।

किरायेदार:-

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :

स्थान :

मकान मालिक:-

हस्ताक्षर

नाम

महत्वपूर्ण निर्देश:

- यह किराये की घोषणा केवल वर्तमान किराये के पते के लिए मान्य है।
- कृपया मकान मालिक द्वारा सत्यापित मकान मालिक के घोषित पहचान पत्र का प्रति संलग्न करें।
- यह किराये का प्रमाण पत्र केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए लागू और मान्य है।
- केवल इस दस्तावेज की उपलब्धता, योजना की पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को हकदार नहीं बनाती है। यह योजना के मानदंडों में से एक है।
- इस दस्तावेज की अधिकतम वैधता किराया प्रारंभ की तारीख से 11 महीने तक है।